न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस.

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 95 / 2021

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
1. अर्जुनराम 2. गोरखाराम 3. नरपतराम पुत्रान जेठाराम जाति–जाट निवासी–हरियाला मगरा, तहसील व जिला बाडमेर।		तहसीलदार बाडमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 28.07.2020 जो न्यायालय जिला कलेक्टर, बाडमेर राजस्व अपील संख्या 50 / 2019 अनवान अर्जुनराम वगैराह बनाम राज्य में पारित किया गया।

उपस्थितीः––

1. श्री जगदीशप्रजापत, भंवरलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः सितम्बर, 2021

1. अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय जिला कलेक्टर, बाडमेर के द्वारा राजस्व अपील संख्या 50 / 2019 अनवान अर्जुनराम वगैराह बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 26.02.2020 के विरूद्ध यह द्वितीय अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.08.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील उज्र म्याद / उज्र एतराज दर्ज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड एवं रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया। मूल अभिलेख प्राप्त होने के पश्चात दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा की गई बहस सुनी।

2. दौरान सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि तहसीलदार बाडमेर के समक्ष पटवारी हल्का विशाला आगोर ने अपीलान्टस के विरूद्ध ग्राम हरियाला मगरा के ख0सं0 784 / 671 रकबा 05 बीघा किस्म गैरमुमकीन शमशान में से 02 बीघा 10 बिस्वा तथा ख0सं0 785 / 671 रकबा 1276 बीघा 11 बिस्वा गै0मु0 पहाड में से रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर अर्थात कल 21 बीघा 05 बिस्वा भूमि पर नाजायज बाड व ताराबन्दी लगाकर अतिक्रमण किया, जिसके आधार पर तहसीलदार बाडमेर ने अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अपीलान्टस को राज0 भू राजस्व अधि0 की धारा

91 के तहत बेदखली, जुर्माना व दो माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्टस ने जिला कलेक्टर बाडमेर के समक्ष प्रथम अपील पेश की गई जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 26.2.2020 को खारिज कर दी गई। जिसके विरूद्ध अपीलान्टस ने यह अपील न्यायालय के समक्ष पेश की है।

3. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश करने में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि की गई है क्योंकि पटवारी आगोर की जिस रिपोर्ट के आधार पर उनके विरूद्ध धारा 91 के तहत कार्यवाही संस्थित की उसमें अपीलान्टस को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये जाने का उल्लेख अवश्य किया है परन्तु अपीलान्टस को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर समुचित दिये बिना ही एकतरफा रिपोर्ट के आधार दिनांक 10.10.19 को आदेश जारी कर दिया जो नोटिस को चस्पा किया जाना मानते हुए अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया है जो न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट होता है। उक्त नोटिस की पुश्त पर जिस मौतबीर के हस्ताक्षर करवाये है वह मौतबीर न तो अपीलान्ट के परिवार से ताल्लुक रखता है और न ही आसपडौस में रहता है।

4. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्टस की खातेदारी की भूमि व राजकीय भूमि के बीच सीमा को निर्धारित करने के लिये अपीलान्टस के द्वारा उपखण्ड अधिकारी न्यायालय के समक्ष भूमि की नेखमबन्दी हेतु पेश प्रार्थना पत्र पर दिनंक 25.6.14 को नेखमबन्दी करने हेतु आदेश जारी किया गया था परन्तु पटवारी हल्का के द्वारा आज दिनांक तक कार्यवाही नहीं की गई। उसके उपरान्त पटवारी हल्का द्वारा राजकीय भूमि पर अपीलान्टस को अतिक्रमी बताते हुए कार्यवाही प्रस्तावित कर दी। अपीलान्ट की खातेदारी भूमि की पैमाइश किये बिना यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलान्ट का कब्जा ख0सं0 784/671 व 785/1 पर कितना है, अपीलान्टस उक्त भूमि पर सेटलमेन्ट से काबिज है। व ख0सं0 784/671 व 785/61 एवं अपीलान्ट की खातेदारी खसरान के बीच सीवं व माठ बनी हुई है। बिना मौका जॉच मंगाये व सीमाकंन करवाये ही भूमि का उन्हें अतिक्रमी मानते हुए भूल की गई है। पटवारी हल्का द्वारा राजनैतिक दबाव में आकर रिपोर्ट पेश की गई थी।

5. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि तहसीलदार, बाडमेर के अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर उनके द्वारा प्रथम अपीलीय न्ययाालय के समक्ष अपील पेश कर दी, उसके बाद अपीलान्टस मजदूरी करने गुजरात राज्य में चले गये थे, तत्पश्चात कोविड–19 के तहत लॉकडाउन लग जाने पर वह वापस नहीं आ पाये और जिला कलेक्टर बाडमेर ने अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी। अपीलान्टस गुजरात से इस वर्ष जुलाई माह में वापस आये तब दिनांक 11.8.2021 को अपीलान्ट अर्जुनराम को पुलिस पुलिस पकडकर ले गई। तथा पुलिस के द्वारा यह बताया कि उनकी जिला कलेक्टर बाडमेर के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील दिनांक 26.2.20 को खारिज हो गई है तब अपीलान्टस को अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.2.2020 की जानकारी हुई है अतः अपील को अन्दर म्याद माना जावे एवं उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेशों क्रमशः 10.10.19 एवं 26.2.20 को निरस्त किया जावे। अपीलान्ट के अधिवक्ता के द्वारा अपील के कथनों के समर्थन में विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों की प्रति पेश की गई जिनका भी

अवलोकन किया यथा आरआरडी 1982, पेज 194, आरआडी 1980 पेज 483, आरआरडी 1990 पेज 351, आरआरडी 1977 पेज 591, आरआरडी 1979 पेज 559 आरआरडी 1980 पेज 483

6. प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्ट/प्रार्थी के प्रकरण में तहसीलदार बाडमेर के द्वारा उन्हें अतिक्रमी मानते हुए जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया एवं जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जो प्रथम अपील में निर्णय पारित किया है वो नियमानुसार विधि के संदर्भ में पारित किया गया है जो बहाल रखा जावें।

7. हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा की गई बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा अपील मीमों, अधिनस्थ न्यायालय के मूल रेकर्ड, प्रस्तुत निर्णयों की प्रतियों इत्यादि का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिससे यह पाया जाता है कि अपीलान्ट संख्या 1, 2 व 3 द्वारा ग्राम हरियाला मगरा के ख0सं0 784/671 रकबा 05 बीघा किस्म गैर मुमकीन शमशान में से 02 बीघा 10 बिस्वा तथा ख0सं0 785/671 रकबा 1276 बीघा 11 बिस्वा गै0मु0 पहाड में से रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर अर्थात कल 21 बीघा 05 बिस्वा भूमि पर नाजायज बाड व ताराबन्दी लगाकर अतिक्रमण किया जाना मानते हुए तहसीलदार बाडमेर ने अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अपीलान्टस को राज0 भू–राजस्व अधि0 की धारा 91 के तहत बेदखली, जुर्माना व दो माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है, उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्टस ने जिला कलेक्टर बाडमेर के समक्ष प्रथम अपील पेश की गई जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 26.2.2020 को खारिज कर दी गई।

8. अपीलान्टस के द्वारा अपनी प्रथम अपील में एवं न्यायालय हाजा के समक्ष प्रथम अपील में यह तथ्य दर्शाये है कि उनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बाडमेर के समक्ष प्रकरण संख्या 28/2014 जिसमें उनके खसरा संख्या 625 रकबा 0.16 बिस्वा व ख0सं0 737/633 रकबा 224.06 बीघा भूमि के चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आदेश जारी करवाया गया था। उक्त आदेश में अपीलान्टस तथा विप्रार्थीगण मोटाराम पुत्र रासिंगाराम वगैराह के बीच में सीमा विवाद होना अंकित है, धारा 91 के तहत सम्पादित कार्यवाही में दर्शाई गई भूमि शमशान एवं पहाड की भूमि है जिससे उनका यह कथन की वादग्रस्त भूमि का विवाद उपखण्ड अधिकारी, बाडमेर के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में दर्शाई गई भूमि ही विवादित होने से उन्हें अतिक्रमी माना है, के तथ्यों को मानने योग्य कहा जा सकता है। साथ ही अपीलान्टस का यह कहा जाना कि वे उक्त भूमि पर वक्त सेटलमेन्ट से काबिज चले आ रहे है, इस प्रकार के साक्ष्य दस्तावेज भी अपील के संलग्न प्रस्तुत नहीं किये है

9. इसके अतिरिक्त अपीलान्टस के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.10.2019 से पूर्व में भी मुकदमा नं. 56/2018 दर्ज कर दिनांक 26.10.2018 के द्वारा राजकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने का आदेश होना रेकर्ड के अवलोकन से प्रकट होता है। तहसीलदार बाडमेर द्वारा अपीलान्टस को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश जारी किया गया है। अपीलान्टस की उपस्थिति के सम्बन्ध में तीनों अपीलान्टस में से एक अपीलान्ट नरपतराम के हस्ताक्षर आदेशिका पर किये हुए है जो एक अपीलान्ट अपीलान्टस के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.2.2020 को खारिज हो जाने के उपरान्त लगभग 1 वर्ष 05 माह पश्चात यह

द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है जिसके विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संलग्न ऐसे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है जिससे उन्हें उक्त अवधि में आदेश की जानकारी नहीं हुई हो और उनके अधिवक्ता द्वारा तीनों अपीलान्टस को या उनके परिवार को अपील खारिज होने के सूचना न दी हो या अपीलान्टस उक्त अवधि में गुजरात मजदूरी करने गये, तब से वापस अपने गांव में आये ही नहीं हो। अपीलान्टस द्वारा जो तथ्य प्रथम अपील में उठाये गये थे वो ही तथ्य विचाराधीन अपील में दर्शाये गये है। जिसमें कोई नई विविधता नहीं बता पाये है। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों पर गौर करने, पेश दस्तावेजों, मूल अभिलेखों इत्यादि का अवलोकन करने के उपरान्त हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन दोनों आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है जिसमें किसी प्रकार का हस्ताक्षेप किया जाये। ऐसे में अपीलान्टस की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

17. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्टस आधारहीन होने से खारिज की जाती है तथा जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.2.2020 एवं तहसीलदार, बाडमेर का आदेश दिनांक 10.10.2019 बहाल रखे जाते है। निर्णय आज दिनांक .09.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर